

अनुदान संख्या 6 - उर्वरक विभाग
GRANT No. 6 - DEPARTMENT OF FERTILISERS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	179125,79,00		
			195476,62,00	195465,09,62
पूरक	Supplementary	16350,83,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			11,53,63
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	2,69,00	1,62,05	-1,06,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,06,94

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में अभ्यर्पित की गई राशि (₹1153.63 लाख) समग्र बचतों ₹1152.38 लाख से अधिक थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹1153.63 lakhs) exceeded the overall savings of ₹1152.38 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"			
फसल कृषिकर्म	Crop Husbandry			
मू.	O.	4400000.00		
पू.	S.	1635081.00	6519957.75	6519957.69
पु.	R.	484876.75		
				-0.06

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	Head				
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	13508327.00			
पू.	S.	1.00	13022580.29	13022581.95	+1.66
पु.	R.	-485747.71			

(I) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹336.80 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.80 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹336.80 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.80 lakh obtained in December, 2023) remained wholly unutilized under seven heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" – "उर्वरक उद्योग" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2852" - "Fertiliser Industries" - savings occurred under the following heads: -

(का) "उर्वरक सहायिकी – यूरिया सहायिकी" – ₹424422.88 लाख की बचत (₹11806195.93 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में हुई।

(A) "Fertiliser Subsidy - Urea Subsidy" - saving of ₹424422.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11806195.93 lakhs);

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक – यूरिया सहायिकी" – ₹40190.56 लाख की बचत (₹1121024.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई, और

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Urea Subsidy" - saving of ₹40190.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1121024.40 lakhs); and

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – यूरिया सहायिकी" – ₹20821.61 लाख की बचत (₹580771.67 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Urea Subsidy" - saving of ₹20821.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹580771.67 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें अपेक्षाकृत कम मात्रा में यूरिया आयात किए जाने, पूर्ववर्ती वर्षों की रियायती दरों में कमी किए जाने के कारण कंपनियों से वसूलियाँ किए जाने की वजह से हुई।

Savings under the above three heads were due to lesser import of Urea and recoveries made from companies due to downward revision of concession rates of earlier years.

2. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹484876.75 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2401” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में ₹1635081.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :

(का) “खाद और उर्वरक – पोषण आधारित सहायिकी नीति” – ₹423782.06 लाख। तथापि वास्तविक, अधिक व्यय ₹423782.02 लाख हुआ।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक – पोषण आधारित सहायिकी नीति” – ₹40244.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹40244.49 लाख हुआ।

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – पोषण आधारित सहायिकी नीति” – ₹20850.19 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹20850.18 लाख हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹25.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

2. The above savings were partly (₹484876.75 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1635081.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under Major Head “2401” - under the following heads: -

(A) “Manures and Fertilisers - Nutrient Based Subsidy Policy” - ₹423782.06 lakhs. Actual excess, however, was ₹423782.02 lakhs.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Nutrient Based Subsidy Policy” - ₹40244.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹40244.49 lakhs.

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Nutrient Based Subsidy Policy” - ₹20850.19 lakhs. Actual excess, however, was ₹20850.18 lakhs.

3. In the capital section of the grant, provision of ₹25.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads.